न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 31/2019
तारीख दायरा – 04.11.2019
प्रार्थी :–

रमेश पुत्र भूराराम आयु–वयस्क, जाति–लुहार
निवासी– माण्डीगढ, तहसील–देसूरी जिला पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. जगदीश गोद पुत्र पेमाराम (जायंदा पुत्र भूराराम) आयु–वयस्क
2. सुरेश पुत्र भूराराम आयु–वयस्क
3. भूराराम पुत्र प्रतापजी आयु–वयस्क
   जातिगण–लुहार , निवासीगण – माण्डीगढ तहसील –देसूरी
   जिला – पाली(राज.)
4. तहसीलदार देसूरी भूमिधारी राज्य सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से – वकील प्रवीण चौहान एवं ताराचंद मीणा।
2– अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के वकील अनुपस्थित।

–: आदेश :– **दिनांक– 06.08.2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम माण्डीगढ पटवार हल्का माण्डीगढ तहसील देसूरी जिला पाली में संयुक्त आधिपत्य की कृषि भूमि आराजियात खसरा नम्बर 10, 11, 6, 7, 8, 9 कुल खसरे 06 कुल क्षैत्रफल 5.43 हेक्टर कुल लगान रूपये 64.92 रूपये की विद्यमान है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का मिताक्षरा [illegible] हिन्दू परिवार रहा है एवं इस मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रार्थी एवं अप्रार्थी [illegible] से 3 सहदायिक सदस्य है एवं संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता अप्रार्थी संख्या [illegible] प्रार्थी के पिता है एवं [illegible] इस संयुक्त हिन्दू परिवार का सहदायिक सदस्य है। वादग्र[illegible] आराजियात में प्रार्थी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:19:26 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रताप पुत्र राजा की खातेदारी का 1/6 हिस्सा विद्यमान था एवं प्राथ्री के दादा प्रतापजी का स्वर्गवास होने पर उनके उक्त खातदोरी हिस्से की आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1 से 3 के मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होकर वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से के कानूनन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के जन्म से ही पिता/ दादा की उक्त 1/6 हिस्से में समान रूपेण हक हिस्सा एवं अधिकार निहित हुए। किन्तु अप्रार्थी संख्या 3 संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता होने से राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजियात का उक्त 1/6 हिस्सा अकेले अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज करवार दिया जबकि मृत प्रतापजी की सम्पति में उनके पोत्रो एवं पुत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 सहदायिक सदस्यों का समान रूप से कानूनन हक हिस्सा एवं अधिकार निहित है।

प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश अपने बडे पिता पोमरामजी के गोद चला गया। गोद जाने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य नहीं रहा। जिसे उसके हक अधिकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 में निहित हो गये। इस प्रकार प्रार्थी के दादा उक्त प्रतापजी से विरासत में प्राप्त सुदा उक्त वादग्रस्त आराजियात के 1/6 पैतृक हिस्से में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बक्सीश नामा दिनांक 16.09.2019 को निष्पादित कर पंजीयन करवार दिया जबकि अप्रार्थी संख्या 3 को सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा कानूनन बख्शीश करने का अधिकार नहीं है। जिससे बख्शीशनामा प्रार्थी के हक अधिकारों के प्रति शून्य एवं निष्प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 शून्य बख्शीशनमा के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा का नामान्तरकरण दर्ज करवाने पर आमादा है, प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है जो हस्तान्तरण करने, खुर्द–बुर्द करने, प्रार्थी के काश्त में नाजायज दखलन्दाजी करने पर आमादा है। जिसका इन्हें कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिससे प्रार्थी ने अपना 1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित कराने हेतु एव स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मूल वाद के निर्णय में समय लगेगा जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थी के काश्त उपयोग–उपभोग में नाजायज दखल करने व हस्तान्तरण करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक नहीं रोका गया तो प्रार्थी न्याय प्राप्त से वंचित रह जायेगा।

प्रार्थी ने निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम माण्डीगढ में स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 क्षैत्रफल 0.0100 हेक्टर कि[illegible]कान, खसरा नम्बर 11 क्षेत्रफल 1.4700 हेक्टर किस्म नहरी [illegible] 6 क्षैत्रफल 1.4800

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:19:26 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

हेक्टर किस्म नहरी दोयम, खसरा नम्बर 7 क्षैत्रफल 0.0100 हेक्टर किस्म गे.मु. मकान, खसरा नम्बर 8 क्षेत्रफल 1.0500 हेक्टर किस्म नहरी दोयम, खसरा नम्बर 9 क्षैत्रफल 1.4100 हेक्टर किस्म नहरी दोयम कुल खसरे 6 कुल क्षैत्रफल 5.4300 हेक्टर में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से मे काश्त में दखल नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावे, नामान्तरकरण नहीं करावें एवं सम्पूर्ण 1/6 हिस्से को किसी अन्य को हस्तानतरण नहीं करे, रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2019 को प्रार्थी व अप्रार्थीगण की 1/6 हिस्से की भूमि के संबंध में जवाब आने तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने के लिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दिनांक 23.02.2021 को प्रकरण में no instruction pleed किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु अप्रार्थीगण ने समय चाहा पर्याप्त समय दिया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दिये जाने के उपरान्त उपस्थित नहीं हुए एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गयां अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के दादा की खोतदारी का 1/6 हिस्सा था। जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के जन्म से ही 1/6 हिस्से में समान रूप से हक अधिकार निहित है। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 ने अकेले अपने नाम दर्ज 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया एवं 1/6 हिस्सा का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बख्शीश नामा निष्पादित करा दिया जो कानूनन शून्य है एवं निष्प्रभावी है। जबकि पैतृक हक अधिकरों के तहत प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा कानूनन निहित है। प्रार्थी खातेदारी घोषणा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। जिससे प्रार्थी की सफलता के पर्याप्त आसार व आधार है। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से को अन्य को हस्तान्तरण करने प्रार्थी की काश्त में दखल करने एवं नामान्तरण कराने से रोकने हेतु मूल वाद के निर्णयत तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे एव मौके एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना। पत्रावली एवं मूल वाद का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने, पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को दादा की प्राप्त सम्पति में [illegible] से की भूमि का अधिकार है। अप्रार्थीगण को सम्पूर्ण भूमि हस्तान्तरण [illegible] का कानूनन अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:19:26 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः मौजा सरहद ग्राम माण्डीगढ़ पटवार क्षैत्र माण्डीगढ़ तहसील देसूरी में स्थित वाद ग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 क्षैत्रफल 0.0100 हैक्टर किस्म गै.मु. मकान, खसरा नम्बर 11 क्षैत्रफल 1.4700 हैक्टर किस्म नहरी दोयम, खसरा नम्बर 6 क्षैत्रफल 1.4800 हैक्टर किस्म नहरी दोयम, खसरा नम्बर 7 क्षैत्रफल 0.0100 हैक्टर किस्म गै.मु. मकान, खसरा नम्बर 8 क्षैत्रफल 1.0500 हैक्टर किस्म नहरी दोयम, खसरा नम्बर 09 क्षैत्रफल 1.4100 हैक्टर किस्म नहरी दोयम, कुल खसरे 6 कुल क्षैत्रफल 5.4300 हैक्टर में से प्रार्थी व अप्रार्थीगण हिस्से की 1/6 भाग भूमि के संबंध में अप्रार्थी का जबाव पेश होने तक अप्रार्थीगणों के विरूद्ध रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने के लिए अंतरिम अस्थाई निषेध आज्ञा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2019 को जारी की गई थी।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति न्याय के तीनों सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी व प्रार्थीगण के हिस्से 1/6 भाग भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05.12.2019 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

आदेश आज दिनांक 06.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:19:26 IST
Reason: SelfAttested